न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 20 / 2017

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 20 / 04 / 2017

निर्णय दिनांक : 17/09/2019

खाजू खां पुत्र गुलाब खां, जाति मुसलमान निवासी साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

–– प्रार्थी

बनाम

1. हाजरा बेगम पत्नी गुलाब मौहम्मद पुत्री मींराबख्श, जाति मुसलमान, निवासी 76 भिश्ती मौहल्ला, तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर।
2. गुलाब पत्नी भूरे खां पुत्री मीराबख्श, जाति मुसलमान, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. अब्दुल शकूर पुत्र स्व0 अकबर खान
4. अब्दुल रज्जाक पुत्र अब्दुल शकूर
5. मु. जन्नत पत्नी स्व0 श्री अब्दुल रशीद
6. मौहम्मद आरीफ पुत्र स्व0 अब्दुल रशीद
7. मौहम्मद आवेश पुत्र स्व0 अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल शकूर

   समस्त जाति मुसलमान निवासी भिश्ती मौहल्ला, तहसील फुलेरा, मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर, राज0।
8. शबनम बेगम पुत्री स्व0 अब्दुल रशीद पत्नी मौहम्मद अफजल निवासी ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राज0।
9. रसीदन पुत्री अब्दुल शकूर पत्नी मुन्ना, निवासी बस स्टेण्ड, नरैना, जिला जयपुर राज0।
10. जमशीदा पुत्री अब्दुल शकूर पत्नी मौहम्मद रमजान, निवासी चमडा घर किशनगढ, जिला अजमेर, राज0।
11. जमाल खां पुत्र पीर खां, निवासी भिश्ती मौहल्ला तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर, राज0।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 दूदू जिला जयपुर।

–– अप्रार्थीगण

13. बददू खां पुत्र गुलाब खां
14. मुख्ताज खां पुत्र गुलाब खां
15. सुल्तान खां पुत्र गुलाब खां

    जाति मुसलमान निवासी साखून, तहसील दूदू जिला जयपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

16. नजीर खां पुत्र नसीर खां, जाति मुसलमान निवासी बिंजोलाव, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

17. इमामुददीन पुत्र चांद खां, जाति मुसलमान निवासी बिंजोलाव, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 (मृतक)

17/1 इकबाल पुत्र इमामुददीन

17/2 सुभान पुत्र इमामुददीन

17/3 बीला बानो पत्नी इमामुददीन

समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

17/4 अबेदा बानो पत्नी रफीक पुत्री इमामुददीन जाति मुसलमान निवासी साखून हाल निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

17/5 जुबेदा बानो पत्नी रसीद, जाति मुसलमान, निवासी साखून, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

18. शकूर मौहम्मद पुत्र चांद खां, जाति मुसलमान निवासी बिंजोलाव, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

19. इब्राहिम खां पुत्र चांद खां, जाति मुसलमान निवासी बिंजोलाव, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

20. उस्मान पुत्र वसीर

21. गफ्फार खां पुत्र वसीर खां

22. जैतुन धर्मपत्नी उस्मान

23. लाली पत्नी सद्दीक

24. साबूदीन पुत्र हुसैन खां

25. हकीम पुत्र हुसैन खां

26. अमरदीन पुत्र हुसैन खां

27. यासीन पुत्र हुसैन खां

28. अब्दुल पुत्र हुसैन खां

29. सलीम खा पुत्र सवाई खां

30. गफ्फार पत्र सवाई खां

जाति मुसलमान, निवासी साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

31. भूरे खां पुत्र अकबर खां, जाति मुसलमान हाल निवासी ढाणी बिंजोलाव, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

32. बीला पत्नी छीतर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

33. सुल्तान पुत्र छीतर

34. उस्मान पुत्र छीतर

35. रफीक पुत्र छीतर

36. रशीद पुत्र छीतर

37. मु0 पीरी पुत्री छीतर

38. मु0 सईदा पुत्री छीतर

39. मु0 मैना पुत्री छीतर

40. मु0 शकीला पुत्री छीतर

समस्त जाति मुसलमान, निवासी साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

-- प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा —

उपस्थिति – **श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री निरंजन कुमार पारीक
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ल. 5, 7 ल. 10

श्री मगनलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 तथा 1 व 2

श्री नन्दकिशोर मीणा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 13 ल. 15, 20, 21, 24 ल. 30, 33 ल. 40

प्रतिवादी संख्या 6, 16, 19, 31, 34, 18, 22, 23, 32 व 33
के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 17/09/2019

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी भूमि खसरा नम्बर गत 1645 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसके बन्देबस्त के उपरान्त नये खसरा नम्बर 3680 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 3681 रकबा 0.28 हैक्टेयर कायम किये गये जो वाके राजस्व ग्राम–साखून, तहसील–दूदू जिला–जयपुर में स्थित है। उपरोक्त भूमि पूर्व में गुलबा, मीर बख्श, पीरू पुत्रान लल्लू खां उर्फ लाल खां, की खातेदारी में राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित थी। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में मीर बख्श का अविभाजित 1/3 हक एवं हिस्सा निहित था। भूमि खसरा नम्बर गत 3746 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर गत 3759 रकबा 14 बीघा, भूमि खसरा नम्बर गत 3760 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 3761 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर गत 3763 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर गत 3760/6139 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, राजस्व ग्राम–साखून तहसील–दूदू जिला–जयपुर कायम किये गये। उपरोक्त भूमि के चांद खां पुत्र दीन खां 1/2 हिस्से के गुलाब, मीरा बख्श 1/3 हिस्से के, हसन खां सवाई खां जमाल खा पुत्र पीरू खां 1/6 हिस्से के खातेदार–काश्तकार थे। बंदोबस्त के पश्चात गत खसरा नम्बर 3746 के नए खसरा नम्बर 4779 रकबा 0.64 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 3759 के नए खसरा नम्बर 4725 रकबा 1.87 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 4726 रकबा 1.67 हैक्टैयर, गत खसरा नम्बर 3760 के नए खसरा नम्बर 4776 रकबा 1.18, व खसरा नम्बर 4777 रकबा 1.10 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 4778 रकबा 1. 70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4787 रकबा 0.34 हैक्टैयर, गत खसरा नम्बर 3761 के नए खसरा नम्बर 4770 रकबा 1.75, गत खसरा नम्बर 4771 रकबा 0.01, 4772 रकबा 0.20, 4773 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 4774 रकबा 1.98, खसरा नत्बर 4775 रकबा 1.96 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 3763 के नए खसरा नम्बर 4724 रकबा 1.30 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 3760/6139 के नए खसरा नम्बर 4769 रकबा 0.53 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 3746 के नए खसरा नम्र 4779 रकबा 0.64 हैक्टैयर, कायम किए। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त सम्पात्ति के रूप में सम्बोधित किया जावेगा। इसके उपरान्त श्रीमती बिस्मिल्ला पत्नि श्री अब्दुल शकूर ने मीर बख्श से जरिये बख्शीश में प्राप्त उक्त विवादित आराजी भूमि के सम्बन्ध में एक रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 31.01.1979 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या।1 के हक में निष्पादित कर दिया गया। जिसके आधार पर दोनों उक्त भूमि पर काबिज–काश्त हुये। मीर बख्श की वर्ष 1980 में मृत्यु होने के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 11 की सहमति से प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण ने सहमति से पंचायत से प्रमाण पत्र प्राप्त कर विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 11 व अन्य प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त विवादित आराजी भूमि का दिनांक 06.06.1981 को नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसके आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मीरबख्श के निहित हिस्से के मालिक, स्वामी काबिज–काश्तकार हुये तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हक एव हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खुद काश्त करते आ रहे है। इसके उपरान्त लगभग 29 वर्ष उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

3 ता 10 के पूर्वज स्व. बिस्मिल्ला एवं अप्रार्थी संख्या 11 ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थी को जरिये दान–पत्र प्राप्त सम्पति को हडपने की गरज से झूंठे तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1604 दिनांक 06/06/1981 के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने स्वीकार कर ना0स0 1604 दिनांक 06/06/1981 को खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 27/02/2017 को प्रदान कर दिये लेकिन अपने निर्णय में यह अंकित किया गया कि "अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती हैं। मृतक खातेदार मीराबक्श को नाऔलाद फौत बताये जाकर उसके भाई व भाई के पुत्रों के नाम से विरासत के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 1604 दिनांक 06/06/1981 गलत तथ्य पर दर्ज होने के कारण खारिज किया जाता हैं। दान–पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स का यदि कोई क्लेम है, तो वे इस आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोंही करने के लिये स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा एक अपील संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के समक्ष बउनवानी खाजू खां बनाम हाजरा बेगम व अन्य प्रस्तुत की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। अप्रार्थीगण दिनांक 17/04/2017 को एकराय होकर प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि पर आये तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकीया देने लगे कि उन्होनें प्रार्थी के हक में निष्पादित नामान्तरकरण को जरिये न्यायालय निरस्त करवा दिया है तथा वे जल्द ही प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से जोर जबरन बेदखल कर प्रार्थी को बेकब्जा कर देंगे तथा उक्त सम्पूर्ण आराजी भूमि को दीगर व्यक्तियों को बैचान कर खुर्द–बुर्द कर देंगे, इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

अन्त में दादरसी चाही कि "प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त सम्पति आराजी खसरा नम्बर गत 1645 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा जिसके बन्दो बस्त के उपरान्त नये खसरा नम्बर 3680 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3681 रकबा 0.28 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 3746 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3759 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर गत 3760 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3761 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 3763 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 3760/6139 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, राजस्व ग्राम साखून तहसील दूदू में प्रार्थी के निहित हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रार्थी द्वारा की जा रही कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा या मजाहमत पैदा नही करें वादग्रस्त भूमि का किसी भी दीगर व्यक्ति को बैचान/हस्तान्तरण नही करें

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से के किये जा रहे उपयोग उपभोग कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा, मजाहमत पैदा ना करें, ऐसा अप्रार्थीगण ना तो स्वंय करें ना ही किसी दीगर माध्यम से करावें तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 ल. 5, 7 ल. 10 की ओर से अधिवक्ता श्री निरंजन कुमार पारीक एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से श्री मगनलाल शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

दिनांक 02/08/2017 को अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 का जवाब पेश हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मगनलाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 6, 16, 19, 31, 34, 18, 22, 23, 32 व 33 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 13 ल. 15, 20, 21, 24 ल. 30, 33 ल. 40 की ओर से श्री नन्दकिशोर मीणा अधिवक्ता उपस्थित हुये, लेकिन जवाब पेश नही किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 5, 7 ल. 10, 11, 13 ल. 15, 20, 21, 24 ल. 30, 33 ल. 40 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 5, 7 ल. 10, 11, 13 ल. 15, 20, 21, 24 ल. 30, 33 ल. 40 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी, फोटो प्रति नामान्तरकरण, फोटो प्रति दान-पत्र, फोटो प्रति नकल निर्णय तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोनक किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात अन्य खातेदारान के साथ-साथ प्रार्थी के नाम भी मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त है, उक्त सम्पति प्रार्थी ने अपने जरिये रजिस्टर्ड दान-पत्र दिनांक 31/01/1979 व नामान्तरकरण संख्या 1604 दिनाक 06/06/1981 के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

प्राप्त होना अंकित किया हैं, नामान्तरकरण संख्या 1604 दिनांक 06/06/1981 को न्यायालय एडीएम जिला कलेक्टर चतुर्थ ने खारिज कर दिया है, लेकिन साथ ही एडीएम जिला कलैक्टर ने प्रार्थी को यह यह छूट दी है कि यदि दान-पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स का कोई क्लेम है, तो वे इस आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोंही करने के लिये स्वतन्त्र हैं, चूंकि प्रार्थी को उक्त आराजीयात जरिये दान-पत्र प्राप्त हुयी है तथा उसी के आधार पर उक्त प्रकरण पेश किया गया है, इसलिये प्रार्थी द्वारा मूल वा द में चाहा गया अनुतोष मूल वाद के निर्णय पर ही हो सकेगा, लेकिन चूंकि तब तक प्रकरण में किसी प्रकार की पेचीदगीया नही बढे इसलिये यदि इस स्टेज पर यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। साथ ही प्रार्थी वर्तमान में अपने हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भी है, इसलिये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को भी पाबन्द किया जाना यह न्यायालय उचित नही समझती हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र अरथायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया साबित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर गत 1645 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 3680 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3681 रकबा 0.28 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 3746 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3759 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर गत 3760 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3761 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 3763 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 3760/6139 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, राजस्व ग्राम साखून तहसील दूदू के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुद्रा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर)
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.25 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: